ISSN: 0972 - 2351

मत्स्यगंधा

2005

मात्स्यिकी और पर्यावरण

केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)
कोचीन 682 018

पर्यावरण परिरक्षण का एक केरल प्रतिमान

विपिन कुमार वी.पी. और आर. सत्यदास
केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन, केरल

केरल के कालिकट जिला के पय्योली स्थान के कोलवीपालम गाँव के मछुओं के समाज-आर्थिक परिवेश और आजीविका पर गहन तौर पर विश्लेषण करते हुए एक अध्ययन किया गया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र के विभिन्न मध्यवर्ती लोगों पर समाज-आर्थिक सूचना इकट्ठा करना और तटीय मछुओं की आजीविका स्थितियों का निर्धारण करना और मध्यवर्ती लोगों के उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं का पहचान करना और प्राथमिकता देना था। इस स्थान के कुछ लोगों द्वारा समुद्री कच्छप संरक्षण पर किए गए अध्ययन पर इस लेख में प्रकाश डाला है।

केरल के कालिकट जिला के कोलविपालम तट पर किया गया अध्ययन

उत्तर केरल में, कालिकट जिला के पय्योली के निकट कोलवीपालम समुद्र तट में नीडन समय में समुद्री कच्छप बडे पैमाने में इकट्ठे होते हैं। नीडन मौसम में ये कच्छप तट पर एकत्र होकर अंडजनन करते हैं। अस्सी के दशक के आरंभ में यहाँ के मछुए लोग समुद्री कच्छपों का मांस और अंड खाते थे और इनका शोषण करते थे। उसी समय प्रति कि.ग्रा. के लिए 20 रुपए की दर में कच्छप मांस की बिक्री भी की जाती थी। लेकिन वर्ष 1992 में जब समाचार पत्रों में यह समाचार छपा गया कि समुद्री कच्छप खतरे में पड गए जीव हैं तब उसी गाँव के नागरिक स्वयं इस समुद्री संपदा के संरक्षण के लिए आगे आये। पहले अंडों के 50% को स्फुटन करने दिया और बाकी खाने के लिए भी लिया गया। लेकिन बाद में इस संपदा के परिरक्षण की आवश्यकता पर लोग समझदार हो गए और संग्रहित पूरे अंडों को स्फुटन करने दिया। बाद में इस संघ का नाम *तीरम प्रकृति परिरक्षण संघ* जिसका मतलब तटीय प्रकृति का संरक्षण है, बन गया बाद में समुद्री संपदा का परिरक्षण करने वाले इस गतिशील संघ के बारे में समाचार पत्रों में कई रिपोर्टें आयी।

जब *प्रकृति परिरक्षण संघ* की विशेषताएं मशहूर होने लगी तब केरल वन विभाग, केरल वन विद्या परियोजना, कच्छपों का आवास प्रबंधन, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा कार्रवाई का मलबार तटीय संस्थान जैसे गैर सरकारी संगठन, सी एम एफ आर आइ, आइ आई एस आर जैसे केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान आदि ने समुद्री कच्छपों के परिरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता पर जनता को अवगाह देना शुरू किया। इस के तुरंत बाद वर्ष 1992 में अवगाह कार्यक्रम का असर लोगों में पडने लगा और वर्ष 1998 में केरल वन विभाग ने दो हैचरियों की स्थापना करके लालटेन/टोर्च आदि प्रदान किए और छः सदस्यों को दैनिक मज़दूरी भी दी। इस वर्ष से लेकर संघ का न्यायिक रूप से पंजीकरण हुआ और कार्यविधियाँ क्रमिक रूप से होने लगी। संघ ने इस स्थान को कच्छपों के प्रजनन स्थान के रूप में विकसित किया और वहाँ की प्राकृतिक संपदाओं का

पत्रव्यवहार : डॉ. विपिन कुमार वी.पी., वैज्ञानिक,
केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान,
पी बी सं 1603, कोच्ची - 682 018, केरल

परिरक्षण किया। मैंग्रोव का संरक्षण और परिरक्षण और अवैध रूप से रेत का खनन संघ के सदस्यों के सामने पड गए दो प्रमुख मुकाबले थे और इस वजह से उन्हें रेत का खनन करने वाले ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ संघर्ष करना पडा। संघ के सदस्य नीडन मौसम में स्फुटन होने वाले अंडों का आंकडा संग्रहित करते हैं (सारणी-1) लेकिन समुद्री अपरदन के कारण हैचरियाँ खराब हो गयीं। वर्ष 1992 के बाद स्थापित हैचरियों का इस प्रकार नाश हो गया और समुद्र तट 350 मीटर तक शुष्क हो गया।

सारणी-1 कोलवी तीरम कच्छप परिरक्षण संघ द्वारा संग्रहित अंडों के स्फुटन का आंकडा (1992-2004)

वर्ष	कच्छपों की संख्या	अंडों की संख्या	अंडों से निकले छोटे कच्छपों की संख्या
1992-1998	82	7500	5000
1998-1999	52	4501	3328
1999-2000	65	5843	4900
2000-2001	65	6264	5508
2001-2002	51	5000	4000
2002-2003	47	5028	4123
2003-2004	49	4072	3877
कुल	411	39,108	30,736

रेत खनन से समुद्र तट को नंगा करने की हीन वृत्ति का विरोध करने वाले कच्छप प्रेमियों के प्रयास को निहित स्वार्थ वाले प्रबल वर्गों द्वारा बेकार कर दिया। इस मामले पर प्रकृति परिरक्षण ग्रूप द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका फाइल की गई और न्यायालय ने तात्कालिक रूप से रेत खनन रोकने का आदेश दिया। लेकिन, रेत खनन रोकने पर आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर ज़ोर करते हुए 977 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर की गई एक और याचिका न्यायालय में दी गई। अंत में जिलाधीश ने यह आदेश दिया कि तटीय मेखला नियमन अधिनियम ने 500 मीटर क्षेत्र के अंदर खनन की अनुमति नहीं दी है फिर भी उस क्षेत्र की विशेषताओं को मानते हुए 200 मीटर के अंदर रोक लागू किया गया है। उस आदेश के अनुसार वडकरा नगरपालिका और खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा सीमांकन करने की शर्त पर 25 लोरी भर रेत का खनन करने की अनुमति दी गई। लेकिन *तीरम* प्रकृति परिरक्षण संघ के सदस्यों का कहना है कि प्रति दिन सभी मार्गदर्शनों को नगण्य करते हुए अनुमत्य मात्रा से भी अधिक रेत का खनन करता रहता है और इस तरह के विवेकहीन रेत खनन से कच्छप के नीडन स्थान का नाश होता है। अब केवल एक नीडन स्थान बाकी पड गया है और अगर उचित कार्यवाई नहीं की जाती है तो वह भी कच्छप नीडन मानचित्र से गायब होने की संभावना है।

कई प्रकार की बाधाएं और समस्याएं सामने आने के बावजूद संघ के सदस्यों द्वारा कच्छपों के परिरक्षण के लिए कठिन प्रयास किया गया और अंडों से निकले लगभग 30,000 छोटे कच्छपों को समुद्र में मुक्त किया गया। संघ के सदस्य आगामी भविष्य में और भी बडा *अरिबाडा* होने की प्रत्याशा में हैं।

समुद्री कच्छपों के परिरक्षण के बारे में लोगों के अवगाह का निर्धारण करने केलिए भागीदारी ग्रामीण निर्धारण कार्यक्रम द्वारा 20 मछुओं के साथ साक्षात्कार करने पर ज्ञात हो गया कि वे लोग आवास तंत्र में कच्छपों की उपस्थिति की मुख्य आवश्यकता पर जानकार थे (सारणी-2)

सारणी-2 अवगाह कार्यक्रम की स्थिति (20 मछुओं के आधार पर)

सं	समुद्री कच्छपों का परिरक्षण क्यों	प्रतिक्रिया दिए गए लोगों की संख्या जी हाँ	प्रतिक्रिया दिए गए लोगों की संख्या जी नहीं
1.	खतरे में पड गई जातियों के नाश का नियंत्रण	14	6
2.	पर्यावरणीय टिकाऊपन	11	9
3.	आलंकारिक सामग्रियों, चश्मा फ्रैम, वानिटी बैग आदि के निर्माण के लिए कच्छप कवच का उपयोग	17	3
4.	मछली जीव संख्या बढाए जाने के लिए विषकारी खुम्भी खाना	18	2
5.	आवासीय संतुलन	16	4
6.	पर्यटकों की शक्यता	10	10
7.	धार्मिक प्रधानता	9	11

कच्छपों के प्राकृतिक आवास सजाने के लिए संघ के सदस्यों ने मैंग्रोव के पौधों का रोपण किया है। इसके अतिरिक्त वन विभाग के सहयोग से वन वृक्षों का पौधा गृह भी सजाया है जिसमें 35 जातियों की लगभग 30,000 छोटे पौधों को उगाया गया है, कभी कभी ये लोग अवधारणा अभियान आयोजित करते हैं, प्रकृति संरक्षण और मैंग्रोव परिरक्षण पर चलचित्र और स्लाइड का प्रदर्शन करते रहते है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन में केरल राज्य के कालिकट जिला के पय्योली के निकट कोलवीपालम समुद्र तट में प्रकृति प्रेमियों और मछुओं के संयुक्त सहयोग से किए गए समुद्री कच्छप परिरक्षण और प्रबंध कार्यक्रमों के प्रमुख अंश सम्मिलित किए गए हैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखे जाएं तो कच्छप संपदा प्रबंधन जनता का काम है, कच्छपों का नहीं, यह प्रयास जन केन्द्रित होना चाहिए और इस कार्यक्रम में सभी मध्यवर्ती लोगों को भागीदार बनाने के लिए एक भागीदारी प्रबंधन का विकास करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। टिकाऊ आधार पर कच्छपों का परिरक्षण और प्रबंधन बढ़ाएं जाने के लिए सामूहिक कार्रवाई उठाई जाने के लिए केरल में किए गए कच्छप परिरक्षण कार्यक्रम को नमूना के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तटीय क्षेत्रों के टिकाऊ विकास केलिए बनाए जाने वाली यदृच्छ योजनाओं, जो हमारे, प्राकृतिक आवास और जैवविविधता को प्रभावित करते हैं, के रूपायन की अपेक्षा वैज्ञानिक और भूविज्ञानीय सूचना व्यवस्थाओं के आधार पर समुद्र भित्तियों, पोताश्रय, मछली पकड केन्द्र, जलकृषि खेत, खनन स्थान, नगर विकास आदि को सम्मिलित करके पूरे तटीय भागों में समग्र रूप से एक योजना तैयार करके स्तरीय आधार पर इस का कार्यान्वयन भी किया जाना आवश्यक है।

मुख्य शब्द/Keywords

कच्छप - turtle

अरिबाडा - group arrival of turtles for nesting in sea shores (उड़ीसा के प्रसंग में)